पत्रांकः- यू.पी.ए.ए./08/01-88/10-2014

दिनंाक-30.10.2014

सेवा में,
श्रम एवं रोजगार मंत्री
भारत सरकार
केन्द्रीय सचिवालय
नई दिल्ली।,

विषयः- भवन और अन्य निर्माण मजदूर सेवा विनियमन अधिनियम 1996 के प्रावधानों के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम 1996 में भवन निर्माण सम्बंधी गतिविधियों पर लागू किया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रकार के निर्माण, परिवर्तन, रख-रखाव, भवन ध्वस्तीकरण इत्यादि, प्रत्येक प्रकार के कार्य शामिल है। प्रावधानों के अनुसार 10 लाख रूपये तथा इससे ऊपर की कीमत के सभी प्रकार के निर्माण सम्बंधी कार्यो पर कुल निर्माण लागत का 1 प्रतिशत की कर देयता का प्रावधान है।

भवन निर्माण की बढ़ी हुई लागत को दृष्टिगत रखते हुऐ अब दुर्बल आय वर्ग (म्ैं) के भवनों को छोड़कर, सभी प्रकार के आवासीय एवं अन्य छोटे (निम्न एवं मध्य आय वर्ग) भवन भी इसकी परिधि में आ रहे है। बहुत बड़ी संख्या में आज भी लोग व्यक्तिगत रूप से स्वयं के आवासों का निर्माण कई चरणों में करते है। इस प्रकार के प्रावधान व्यक्तिगत आवासीय भवन निर्माण की गतविधियों को नाकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे है तथा सरकार की आवास नीति पर विपरीत प्रभाव डाल रहे है। हालाकि उच्च आय वर्ग के भवनों में भी अधिकतर व्यक्ति किराए पर देने के लिए भी एक यूनिट बनाते है जो कि परोक्ष रूप से आवासीय समस्याओं का समाधन है।.

अतः देश में आवासीय निर्माण को बढ़ावा देने तथा आवास नीति की सफलता के लिये आवश्यक होगा कि व्यक्तिगत आवासीय निर्माणों को इस अधिनियम से छूट दे दी जाय। इससे व्यक्तिगत आवासों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। हमें आशा है कि एसोशिएसन के इस सुझाव पर सरकार अवश्य ध्यान देगी तथा आवासीय निर्माण को गति देने में सहायक होगी।

सधन्यवाद।

भवदीय

अध्यक्ष

राजीव कुमार द्विवेदी